शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 अप्रैल 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

मध्यप्रदेश में नगर पालिका परिषदों का संगठन

डॉ. चन्द्रलेखा सांखला (अतिथि विद्वान)
राजनीति विज्ञान
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
राजगढ़, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

भारत में नगर पलिका प्रशासन का शुभारम्भ 1987 में हुआ। प्रारंभ में नगर पालिका के लिए चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचन का प्रावधान तो किया गया, लेकिन मत का अधिकार सभी को न देकर कुछ ही लोगों को दिया गया था। नगर पालिकाओं को आवश्यकता अनुरूप वित्तीय अधिकार भी प्रदान नहीं किये गए थे। इन तमाम कारणों से नगर पालिकाओं को जिन उद्देश्यों से गठित किया गया वे सफल नहीं हो सके। लेकिन 1909 ई. में नगर पालिकाओं के विकास के लिए नियुक्त रॉयल कमीशन ने नगरपालिकाओं की असफलता का कारण निर्वाचन की गलत प्रक्रिया, वित्तीय स्वातंत्रता की कमी तथा योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वित न होना बताया। रॉयल कमीशन ने नगरीय संस्थाओं को औचित्यपूर्ण सफल बनाने हेतु कई सुझाव दिए. जैसे नगर पालिकाओं के कुछ विशेष सदस्यों के अलावा अधिकतर सदस्यों का निर्वाचन होना, वित्तीय रूप से अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए बजट निर्माण तथा करारोपण की शक्ति प्रदान करना चाहिए

प्रस्तावना

वास्तविक रूप से नगर पालिकाओं के स्थति में सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के पश्चात् ही संभव हुआ, क्योंकि इसके पश्चात् प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई। जिसके बाद इन स्थानीय निकायों के विकास की दिशा में कई अभूतपूर्व परिवर्तन किये गए। मनोनीत सदस्यों की संख्या में कमी की गयी। मताधिकार की आयु सीमा को घटा कर कम किया गया। जिससे इन संस्थाओं का अधिक लोकतंत्रीकरण संभव हो पाया । स्वतंत्रता पश्चात् देश में जब संविधान लागू हुआ तब स्थानीय निकायों को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया तथा देश की अधिकतर आबादी गाँव में निवास करती है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के विषय में गंभीरता के साथ विशेष चर्चा की गयी, परन्तु नगरीय निकायों के विषय में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया, नगरीय संस्थाएं अपनी पूर्व स्थिति के अनुसार ही क्रियान्वित होती रहीं । लेकिन जैसे-जैसे नगरों का फैलाव होता गया और बढ़ते औद्योगीकरण के फलस्वरूप नगरों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई जिससे शहरी क्षेत्रों में सफाई, जल आपूर्ति, आवास जैसी तमाम समस्याएँ उत्पन्न हुईं।.

नगरीय निकाय

शहरों के बढ़ते आकर तथा जनसंख्या दबाब के कारण और तृतीय पंचवर्षीय योजना में नगरीय निकायों की ओर विशेष ध्यान दिया गया तथा राज्यों से नगरीय संस्थाओं को विकसित करने तथा अपेक्षित साधनों को जुटाने के लिए अनुकूल

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 अप्रैल 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

परिस्थितियों का निर्माण करने की अपेक्षा की गयी. तथा इन संस्थाओं के विकेन्द्रीकरण के माध्यम से कार्यकुशलता तथा स्थान विशेष की आवश्यकता की पूर्ति की उम्मीद की गयी । लेकिन ये आशा पूरी तरह सफल नहीं हो सकी । लोकतान्त्रिक पद्धति से कार्य करने की आशा राजनितिक खेमेबाजी में फंसकर धूमिल हो गयी।. इन संस्थाओं में अनेक खामियों का अनुभव किया गया।

नगरीय निकायों के लिए संविधान संशोधन

भारत सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में सुधार हेतु दो संशोधन किये गए । पंचायती राज संस्थाओं के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तथा नगरीय संस्थाओं के लिए 74वां संविधान संसोधन अधिनियम ।. इन दोनों संशोधनों के पश्चात् स्थानीय निकायों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई । भारतीय संविधान में 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में त्रिस्तरीय नगरीय निकायों - नगर निगम, नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया। नगर निगम ऐसे वृहद् नगरीय क्षेत्रों में स्थापित किये गए, जिनकी जनसंख्या न्यूनतम पांच लाख हो। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाता है कि उसका जनघनत्व भी अधिक हो। इसके अलावा वहां की जनता में बढे हुए करों को वहन करने की क्षमता भी हो । नगर पालिका परिषदों की स्थापना ऐसे नगरों एवं कस्बों में की जाती है जहाँ की जनसंख्या एक लाख से अधिक तथा पांच लाख से कम हो. राज्य सरकार द्वारा परिषदों की स्थापना के लिए नियम विनियम बनाये जाते हैं । नगर पंचायत संस्था ऐसे क्षेत्रों में स्थापित की जाति है जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम हो.

मध्य प्रदेश में नगरपालिका परिषदों के संगठन में नगरपालिका परिषद् के सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा उस नगर की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है । नगर पालिका परिषद् क्षेत्र से चुने गए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य नगर पालिका परिषद् के पदेन सदस्य होते हैं. तथा राज्य सरकार के सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नगर पालिका परिषद् प्रशासन में विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सदस्य मनोनीत किये जाते हैं।. जिनकी संख्या तीन से कम और पांच से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन मनोनीत और पदेन सदस्यों को नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होता । अधिनियम में नगरपालिका परिषद् में अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिए स्थानों का आरक्षण का निश्चित प्रावधान है। आरक्षित स्थानों की संख्या उस क्षेत्र के अ.जा. तथा अ.ज.जा. की कुल जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होती है । नगर पालिका में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का सत्ताईस प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिए अरक्षित रहता है। आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई स्थानों पर अ.जा., अ.ज.जा. तथा पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने का प्रावधान है । 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरपालिका परिषदों का कार्यकाल, यदि वे समय से पूर्व भंग नहीं होती, तो पांच वर्ष निर्धारित किया गया है। नगर पालिका परिषद् के भंग होने की स्थिति में भंग किये जाने की तिथि से 6 माह के भीतर उसके चुनाव कराये जाने का प्रावधान है।

नगर पलिका परिषद् के सदस्यों को वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचन विधि द्वारा चुना जायेगा । निर्वाचक

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 अप्रैल 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

सदस्यों में 18 वर्ष पूर्ण कर चुके ऐसे व्यक्ति जो उस क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत न हो मत देने का पात्र होगा।

नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव नगर के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता है। वह नगर का प्रथम नागरिक कहलाता है। नगर पालिका परिषद् का उपध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से ही सदस्यों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है । अध्यक्ष की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर उसके सभी अधिकारों का क्रियान्वयन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष पद के लिए आवश्यक अर्हतायें - वह नगरपालिका क्षेत्र में किसी वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए, तीस वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्य या स्थानीय संस्था में किसी नौकरी में न हो अथवा कदाचार के आरोप में नौकरी से न निकाला गया हो , वह फौजदारी अदालत से एक वर्ष से अधिक सजा पाया नहीं होना चाहिए । नगर पालिका परिषदों में एक अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है ।. अधिशा सी अधिकारी नगर पालिका के कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है । वह कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति उसके द्वारा अध्यक्ष के साथ परामर्श के पश्चात् की जा सकती है । उसके प्रशसनिक अधिकारों के उपयोग की प्रक्रिया में नगर पालिका अध्यक्ष उसे निर्देशित और नियंत्रित कर सकता है । नगर पालिका परिषद् में कार्य को सुविधापूर्वक करने की दृष्टि से कई प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है - समितियां अपने कार्य निष्पादन के प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं ।. प्रत्येक नगर पालिका को यह अधिकार होता है कि समितियों के प्रतिवेदन को वह यथारूप स्वीकार कर ले अथवा उसकी अभिशंसाओं में परिवर्तन कर दे । हालाँकि यह भी एक तथ्य है कि 74 वें संविधान संसोधन के पश्चात् भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी जिस प्रकार होनी चाहिए उस प्रकार नहीं हो पा रही है । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिकतर महिलाओं को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के विषय से सम्बंधित या तो जानकारी नहीं है या जागरूकता का आभाव है। अधिकतर महिलाएं सिर्फ नाम भर के लिए चुनाव में भाग लेती हैं तथा उनके समस्त कार्यों का संचालन पति या परिवार के किसी सदस्य द्वारा संचालित किया जाता है । स्थानीय निकायों के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधियों को नगर पालिका परिषद् की मौलिक सेवाओं तथा उनकी प्रशासनिक क्षमताओं के विषय में समुचित जानकारी नहीं है, जिस वजह से भ्रष्ट अधिकारी तथा कर्मचारी उन्हें भ्रमित करके लोकहित के कार्यों में बाधाएं खड़ी करते रहते हैं । जिससे जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते । नगरपालिकाओं की स्थितियों में विकासात्मक परिवर्तन के लिए राज्य सरकार द्वारा सुधार करना आवश्यक है । महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधि बनाये जाने के लिए कुछ ठोस नीतियाँ बनायीं जाना आवश्यक है । महिलाओं का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 74वां संविधान संसोधन अधिनियम 1992, भारत सरकार

2 मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, मध्य प्रदेश शासन